26-5-16	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-7-16 को पेश हो। रीडर
28-7-16	वकील उभयपक्ष उप० है। वकील डिक्रीदार शेष मदयून की तलबी कराने को समय चाहते हैं। अतः शेष मदयून की तलबी की जाकर पत्रा० दि० 15-9-16 को पेश हो।
15-9-16	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-10-16 को पेश हो। रीडर
20-10-16	पत्रावली पेश हुई/~~वादी/प्रतिवादी~~/वकील उभयपक्ष उपस्थित है। ~~अवकाश पर है/स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 12-11-16 को पेश हो। रीडर
12-11-16	वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली में शेष मदयून की तलबी की जाकर पत्रावली दि० 24-11-16 को पेश हो।
24-11-16	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। ~~वकील~~ मदयून द्वारका प्रसाद ने प्रा० पत्र ~~मय~~ राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगनादेश पेश कर प्रकरण में स्थगन होना बताया है। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। डिक्रीदार जिस आदेश की पालना चाहता है उस आदेश पर राजस्व मण्डल अजमेर से स्थगन है। अतः अब इस इजराय पत्रावली में आगे कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः इजराय पत्रा० में कार्यवाही वर्तमान स्तर पर ही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार हो व नम्बर से कम हो।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री टी.ए.संख्या......../सन 2006 जिला सवाई माधोपुर

नकल प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 5-9-06.

1. हरिचरण) पुत्रान स्व0 श्री रामजीलाल, जाति ब्राह्मण,
2. बाबूलाल) निवासी उदेईकला, तहसील गंगापुर सिटी,
3. द्वारका) जिला सवाई माधोपुर।
4. राजेन्द्र उर्फ पप्पू)
5. मु0 बैकुण्डी पुत्री स्व0 श्री रामजीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी उदेईकला, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।
6. पुष्पा पुत्री रामजीलाल पत्नि अशोक, जाति ब्राह्मण, निवासी अनाज मण्डी के सामने हिण्डौन सिटी, जिला सवाई माधोपुर।
7. सीता पुत्री रामजीलाल पत्नि दिलीप उर्फ मुन्ना, नि0 डी.आई.सी. ऑफीस कलेक्ट्री सवाई माधोपुर के पीछे सरकारी क्वाटर्स सवाई माधोपुर।

.......अपीलांटगण

बनाम्

1. मन्नालाल पुत्र पून्या) जाति चमार, निवासी उदेई कला, तहसील
2. बालाराम पुत्र पून्या) गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।
3. राजस्थान सरकार।

.........रेस्पोडेन्टगण

वकील.......... अभिभाषक .... के द्वारा आज 5-5-06 को ... प्रस्तुत की गई है। रीडर जांच कर प्रस्तुत करें।
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान राजस्व अपील अधिकारी जी, सवाई माधोपुर दिनांक 12.6.2006

मान्यवर,

मुकदमें के संक्षिप्त हालात इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती विरूद्ध अपीलांट्स, प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपजिला कलक्टर जी, गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेत साबिक खसरा नम्बर 320 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम उदेई कला स्थित है। खसरा नम्बर 320 भूमि एकीकरण में खसरा नम्बर 418 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 420/2 रकबा 18 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 10 ... बना। अब हुए सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 320 का ... नम्बर 2139 रकबा

COMPARED BY

1.13 हैक्टर बना वादीगण का मौजूदा में भी 5 बीघा ... है। वादीगण के खेत के पास खसरा नम्बर 319 प्रतिवादि नम्बर 1 का खेत है उसका सेटलेमेन्ट विभाग ने नवीन खसरा नम्बर 1688 रकबा 1.91 हैक्टर बनाया है जबकि उसका रकबा 1.65 हैक्टर होना चाहिये था इससे करीब 0.26 हैक्टर भूमि ज्यादा दी गई है जबकि वैसे मौके पर प्रतिवादी नम्बर 1 रकबा 1.65 हैक्टर ही काश्त कर रहा है। इस प्रकार ज्यादा लगी भूमि रकबा 0.26 हैक्टर प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते में से कम की जाकर वादीगण के खाते में जोड़ा जाना उचित है व वादीगण की भूमि का जो नक्शा भूमि एकीकरण ने बनाया व अब सेटलमेन्ट विभाग ने बनाया वह वादीगण के कब्जे व खेत की शक्ल के अनुरूप सही नही है। इसलिए नक्शे में दुरूस्ती होना भी आवश्यक है खसरा नम्बर 2139 के पूर्व में जो वादीगण द्वारा पेशकर्दा नक्शे में लाल निशान से प्रदर्शित किया गय है वह हिस्सा खसरा नम्बर 2139 में शामिल होना न्यायोचित है। रकबा व नक्शे में हुई इस गलती का वादीगण को ज्ञान माह जुलाई ... पटवारियों द्वारा बताने पर हुआ तो वादीगण ने कागजात, रेवेन्यु रिकार्ड की नकल प्राप्त की व प्रतिवादी नम्बर 1 से दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो उन्हें अदालत में कार्यवाही पेश करने हेतु कहा। इसलिए वाद प्रस्तुत करना पड़ा और वादीगण को कम मिली भूमि रकबा .26 हैक्टर की पूर्ति करवाने के वादीगण अधिकारी है तथा वादीगण के खाते में खसरा नम्बर 2139 रकबा 1.38 हैक्टर दर्ज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते में खसरा नम्बर 1688 रकबा 1.91 हैक्टर में से रकबा 0.26 हैक्टर कम किया जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को तलब किया गया। सम्मन तामील होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उपस्थिति दी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 320 रकबा 4 बीघा 10 है जो गलती से रिकार्ड में 5 बीघा ... बिस्वा दर्ज चला आ रहा है। भूमि पर मौके पर वादीगण 4 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज है, वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 320 के दक्षिण में व पूरब में प्रतिवादी नम्बर 1 बतौर खातेदार टिनेन्ट काश्त करके सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि का सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 1688 कायम हुआ जो साबिक खसरा नम्बर 319 की भूमि 15 बीघा ... बिस्वा के अनुसार 3.92 हैक्टर होना चाहिये जो सेटलमेन्ट वालों ने गलती से प्रतिवादी नम्बर 1 का रकबा कम करके केवल 1.91 हैक्टर कर दिया है व ... की भूमि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2139 में लगा दी क्योंकि वादीगण

भूमि खसरा नम्बर 2139 की ...

वादीगण मौके पर 4.5 बीघा भूमि पर काबिज है। साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के मिलान करने से भी पूरी तरह स्पष्ट है कि वादीगण की भूमि के दक्षिण पूरब में प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि है और वादीगण की भूमि के पूरब में जो चोंचनुमा भूमि है वह प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि खसरा नम्बर 319 हाल सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 1688 में लट्ठ के जोर से इस चोंचनुमा भूमि पर जबरन नाजायज कब्जा कर लिया है जिसके बाबत प्रतिवादी नम्बर 1 ने तहसीलदार जी, गंगापुर सिटी के यहां नाप तौल करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 3.12.88 को पटवारी हल्का ने नाप तौल करके इस चोंचनुमा भूमि पर नाजायज कब्जा करना पाया। अतः जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का काउन्टर क्लेम विरूद्ध वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि जो वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2139 के पूरब में व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 1688 के उत्तर पूरब में चोंचनुमा भूमि है, से वादीगण को बेदखल किया जावे। दावे तथा जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 10 तनकीहात बनाई गई। वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत ... नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सम्वत 2043, प्रदर्श-2 नकल नक्शा ट्रेस, प्रदर्श-3 नकल जमाबन्दी आधार वर्ष सम्वत 2039, प्रदर्श-4 मिलान क्षेत्रफल आदि पेश किये मौखिक साक्ष्य में स्वयं के बयान करवाये। प्रतिवादी/अपीलांट्स ने अपने प्रतिवाद पत्र के समर्थन में हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श-ए, मौका रिपोर्ट प्रदर्श-ए (3) मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस प्रदर्श-ए (2) नकल जमाबन्दी सम्वत 2029, प्रदर्श-ए (4) नकल जमाबन्दी सम्वत 2039, प्रदर्श-ए (5) नकल जमाबन्दी सम्वत 2049-52, प्रदर्श-ए (7) पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी द्वारका प्रसाद व हंसराज के बयान करवाये गये। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात अपने विस्तृत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.2.2005 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया एवं प्रतिवादी/अपीलांट का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने एक अपील मयाद बाहर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी जी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.6.2006 के द्वारा गलत एवं गैरकानूनी रूप से स्वीकार कर ली जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत है :-

निर्णय व डिक्री कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों के एकदम विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि विद्वान राजस्व अपील अधिकारी जी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपील मयाद बाहर थी एवं रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में देरी का कोई सन्तोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया था। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी जी, सवाई माधोपुर का यह विधिक कर्तव्य था कि वे मयाद के बिन्दु पर अपील को प्रथमतः तय करते, किन्तु उन्होंने अपने निर्णय में मयाद को तय नहीं किया है इस प्रकार अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) यह कि विद्वान अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना मयाद के प्रश्न को तय किये ही रेस्पोडेन्ट्स की अपील गैरकानूनी रूप से स्वीकार कर महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटि की है।

(4) यह कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे जवाबदावे के आधार पर कुल 10 तनकीयात कायम कर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य का पूर्ण रूप से विवेचन कर अपना निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय एवं डिक्री को रिवर्स करने के लिए अपीलीय न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वे प्रत्येक तनकी की विवेचना करते किन्तु उन्होंने मात्र सरसरी तौर पर विपक्षीगण की अपील स्वीकार करने में महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटि की है।

(5) यह कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं और उनकी ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिसके आधार पर अपीलीय न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध था फिर भी उक्त अपील गलत एवं गैरकानूनी रूप से स्वीकार कर ली जो प्रथम दृष्टता ही निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) यह कि तनकी संख्या 3 "आया वादीगण की कमी भूमि 25 एयर साबि खसरा नम्बर 319 से बने नवीन नम्बर 1688 हैक्टर में शामिल कर गई है एवं इसे प्रतिवादी के नाम लगा दिया गया है।" यह तनद वादीगण को साबित करनी थी। नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1 के अनुस

वादीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 320 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा थी जिसका नवीन नम्बर 2139 रकबा 1.13 हैक्टर बना है जो साबिक रकबे से 25 एयर कम होना बताया है वादीगण इस 25 एयर रकबे को साबिक खसरा नम्बर 319 से बने नये नम्बर 1688 में शामिल करना एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज करना बताते है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श–ए (4) के अनुसार खसरा नम्बर 319 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा दर्ज है जो प्रतिवादी मृतक रामजीलाल के नाम खातेदारी में है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–ए (6) के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 319 के नवीन खसरा नम्बर 1679 रकबा 39 एयर, 1684 रकबा 69 एयर एवं 1687 रकबा 10 एयर, 1688 रकबा 1.91 हैक्टर, 1690 रकबा 31 एयर, 1693 रकबा 7 एयर, 1679/6250 रकबा 34 एयर कुल रकबा 3.81 हैक्टर बना है जो साबिक रकबे 15 बीघा 6 बिस्वा के बराबर है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण की 25 एयर भूमि हाल खसरा नम्बर 1688 में मिलना प्रमाणित नही होता है क्योंकि प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 319 के पुराने रकबे के मुकाबले हाल रकबे में कोई बढोतरी नहीं हुई है। उक्त विवेचन को बिना किसी आधार के राजस्व अपील ने पलटने में महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटि की है।

(7) यह कि वादीगण ने अपनी 25 एयर भूमि खसरा नम्बर 1688 में शामिल होना बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है किन्तु वे इस कथन को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है क्योंकि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त कम हुआ रकबा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की खातेदारी में शामिल नही किया गया है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को क्यों कर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी सी, सवाई माधोपुर ने किस आधारों पर पलटा हैं इस तथ्य को उनके द्वारा कही भी विवेचना नहीं किया हैं। इस प्रकार विद्वान राजस्व अपील अधिकारी सी, सवाई माधोपुर का निर्णय प्रथम दृष्टता ही निरस्त किये जाने योग्य है।

(8) यह कि अन्य उजरात बरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगें।

(9) यह कि अपील निर्धारित न्यायालय शुल्क व नियत अवधि में प्रस्तुत है।

(10) यह कि अपीलांट्स द्वारा अपीलग्रस्त आदेश के विरुद्ध अन्य कोई अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट्स मय खर्चे के स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी जी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.6.2006 निरस्त किया जावे एवं उपजिला कलक्टर जी, गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.2.2005 बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अजमेर,

दिनांक : 5-9-16

अपीलांट्स जरिये अभिभाषक

TWO RUPEES COPYING FEES ONLY

TWO RUPEES COPYING FEES ONLY

TWO RUPEES COPYING FEES ONLY

TWO RUPEES COPYING FEES ONLY

TWO RUPEES COPYING FEES ONLY

TWO RUPEES COPYING FEES ONLY

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक/राम/न्याय/स्त्र/आ./06/2335 दिनांक: 05-07-06

आदेश

माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में आया है कि राजस्व मण्डल की एकल पीठ अथवा खण्ड पीठ द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान स्थगन आदेश अग्रिम नियत तिथि तक दिया जाता है इसके पश्चात पत्रावली पूर्ण करने के प्रयोजनार्थ निबंधक कोर्ट में लगायी जाती है परन्तु स्थगन आदेश बढ़ाने के सम्बंध में कोई आदेश निबंधक कोर्ट से पारित नहीं होने से पक्षकारान को परेशानी होती है एवंम स्थगन आदेश बढ़ाने हेतु अधिक संख्या में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होते है जिससे बैंचों में अनावश्यक कार्य बढ़ जाता है। इस समस्या पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने विचार कर निर्देश प्रदान किया है कि एक बार बैंच से स्थगन होने के पश्चात प्रकरण निबंधक कोर्ट में लगने पर स्थगन आदेश स्वतः बढ़ा हुआ माना जायेगा । जब तक कि बैंच द्वारा उसे निरस्त नहीं कर दिया जाता अथवा प्रकरण की गुणावगुण पर सुनवाई होकर निस्तारण नहीं हो जाता ।

इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे ।

अति. निबंधक(न्याय),
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांक:राम/2334-56 दिनांक:0 07-06

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1-नि.स./व.नि.स., माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज., अजमेर
2-नि.स./व.नि.स., समस्त माननीय सदस्यगण, " "
3-नि.स./व.नि.स., निबंधक, " " " "
4-अध्यक्ष बार एसोसिएशन, राजस्व मण्डल राज., अजमेर
5-कार्यालय अधीक्षक(न्याय), कोर्ट सं. 9, " " "
6 विधि सम्पादक, " " " " " "
7-रक्षित पत्रावली ।

अति. निबंधक(न्याय),
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

STENCIL(6)